

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एक ही केवल आवासीय भूखण्ड
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 125 दिनांक 08/06/2013
प्राचीन हीमती सरोज अवस्थी
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 58,646/- का
जरिये रसीद संख्या 1023/1133/1592
दिनांक 08/06/2013 को जमा करा दी है।

सुधीर बोरा
प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

श्री श्री नरेश कुमार अवस्थी

P.No: 119-पूर्व राज-गट

असल लॉट 2.2 की उत्तरी
शाम बाजरी चौक

श्री।
आवासीय

सुधीर बोरा
9829148485